



389  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Ref. No. H08136 /C-6/Gen-658/Appeal no. 06/2022 (I.A. No. 29/2022) /2024 Dated 11-3-24

To,

The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi- 110001 .

**Sub: Regarding submission of Response on behalf of Respondent no- 4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 06.02.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Appeal no. 06/2022 (I.A. No. 29/2022), In the matter of Prabhakar Rai & Ors. Vs. Union of India & Ors.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 06.02.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Appeal no. 06/2022 (I.A. No. 29/2022), In the matter of Prabhakar Rai & Ors. Vs. Union of India & Ors, The Response on behalf of Respondent no- 4, Uttar Pradesh Pollution Control Board is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Sincerely Yours,

Enclosures: As above

  
(Dr Ram Karan)  
Chief Environment Officer  
(Circle-6)

**Copy to: Following for information and further necessary action.**

Shri Pradeep Misra Advocate, Supreme Court, B-235, Sector-XIX, Noida, District-GB Nagar, 201301.

  
Chief Environment Officer  
(Circle-6)

---

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764  
Email: [info@uppcb.in](mailto:info@uppcb.in) - Web Site: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

**Response on behalf of Respondent no-4, Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 06.02.2024 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Appeal No. 06 of 2022 (I.A. No. 29/2022) In the matter of Prabhakar Rai & Ors Versus Union of India & Ors.**

The Hon'ble N.G.T., Principal Bench, New Delhi vide its order dated 06.02.2024 in Appeal No. 06 of 2022 (I.A. No. 29/2022) in the matter of Prabhakar Rai & Ors Versus Union of India & Ors has passed the directions. The operative part of the order is as below:-

***"..... 3. In view of the facts and circumstances of the case we consider response of SEIAA, Uttar Pradesh, CPCB and UPPCB to the observations made in the report of the Joint Committee to be essential for just and proper adjudication of the question involved in the case. UPPCB is also directed to provide information about other CBWTF established in residential area and also as to adverse environmental impact of the same if any reported.....***

***.....5. Response by respondent no. 3-CPCB and respondent no. 4-UPPCB be filed within one month by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. ...."***

**Response**

1. That in compliance to the order dated 03.04.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Appeal No. 06 of 2022 (I.A. No. 29/2022), a Joint Committee Report has been submitted by the UPPCB on 07.08.2023 vide



letter no. H98915/C-6/Gen-658/Appeal No.06/2022 (I.A. No. 29/2022) before Hon'ble Tribunal, New Delhi.

2. That in above submitted Joint Committee Report, the Committee has made following conclusion and recommendations-

**“It is evident from above observations; Primary Health Center is located approx. 46m from the main gate of the proposed facility. The project proponent has installed oxygen bottling plant in a part of khasra no. 1006 and proposed to install CBWTF in the remaining area of khasra no. 1006. Residential area (approx. population-1067 with 213 houses), Primary Health Center, significant human habitation, pond, poultry farm and nala are located within 500m from the proposed site and installation of incinerator plant in the vicinity of oxygen plant may cause hazard. As informed by PP that significant land patch is available with close proximity of the proposed site, which may require to be used for CBWTF, if necessary. Hence, committee is of view that location of this CBWTF is not complying the norms laid by CPCB....”**



3. That further in pursuance to recommendation of the Joint Committee Report, vide letter dated 07.03.2024, Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued a show cause notice under section 27(2) of The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21(4) of The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 against the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (hereafter referred as CBWTF) in question for revoke/cancel of the consent to establish dated 05.01.2022. The copy of the letter dated 07.03.2024 is being attached herewith as **Annexure No.-1** to this Response.
4. That as per the information obtained by the Regional Officers of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, there are 28 CBWTFs are operated within the State of U.P., in which no CBWTF is established in the residential area.
5. That the site of CBWTF in question i.e. M/s JKN Purvanchal CBWTF Works, Pharpur, Gotha Rasoolpur, Deoria (UP) was inspected by the officials of Regional Office, UP Pollution Control Board, Gorakhpur on 02.03.2024, in which the no works has

been found for the establishment of said CBWTF. A copy of the Inspection report dated 02.03.2024 along with photographs is being attached as Annexure No.-2 to this Response.

Therefore, the above response of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being filed in compliance to the order dated 06.02.2024 for the perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Lucknow

Dated:

  
11/03/2024  
(Dr Ram Karan)

Chief Environmental Officer,  
U.P. Pollution Control Board,  
Lucknow



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure No-1

Ref. No: H08121/वृत्त-6/सीटीई-320/जेकेएन पूर्वान्चल/गोरखपुर/2024

दिनांक 7.3.24

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जे0के0एन0 पूर्वान्चल,  
सीबीडब्ल्यूटीएफ वर्क्स, पहाड़पुर, गोटा रसूलपुर,  
देवरिया।

विषय: बोर्ड के पत्रांक 145008/यूपीपीसीवी/गोरखपुर(यूपीपीसीवीआरओ)/सीटीई/देवरिया/  
2021 दिनांक 05.01.2022 द्वारा निर्गत स्थापनार्थ सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित अपील संख्या-06/2022 (आई0ए0एन0-29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

..... 3. In view of the facts and circumstances of the case we consider response of SEIAA, Uttar Pradesh, CPCB and UPPCB to the observations made in the report of the Joint Committee to be essential for just and proper adjudication of the question involved in the case. ....

संदर्भित ओए में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा सीबीडब्ल्यूटीएफ का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 17.05.2023 को किया गया तथा उक्त संयुक्त समिति की आख्या माननीय अधिकरण में दिनांक 07.08.2023 को दाखिल की गयी।

संयुक्त समिति की उपरोक्त आख्या में निम्नलिखित निष्कर्ष एवं एवं संस्तुतियों की गयी हैं:-

“It is evident from above observations; Primary Health Center is located approx. 46m from the main gate of the proposed facility. The project proponent has installed oxygen bottling plant in a part of khasra no. 1006 and proposed to install CBWTF in the remaining area of khasra no. 1006. Residential area (approx. population-1067 with 213 houses), Primary Health Center, significant human habitation, pond, poultry farm and nala are located within 500m from the proposed site and installation of incinerator plant in the vicinity of oxygen plant may cause hazard. As informed by PP that significant land patch is available with close proximity of the proposed site, which may require to be used for CBWTF, if necessary. Hence, committee is of view that location of this CBWTF is not complying the norms laid by CPCB....”

संयुक्त समिति की उपरोक्त वर्णित संस्तुतियों के अनुसार सीबीडब्ल्यूटीएफ का स्थल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21(4) के अन्तर्गत सीबीडब्ल्यूटीएफ के विरुद्ध निम्नरूपेण कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाते हैं:-

1. यह कि क्यों न सीबीडब्ल्यूटीएफ मेसर्स जे0के0एन0 पूर्वान्चल, सीबीडब्ल्यूटीएफ वर्क्स, पहाड़पुर, गोटा रसूलपुर, देवरिया को राज्य बोर्ड के पत्रांक 145008/यूपीपीसीवी/गोरखपुर(यूपीपीसीवीआरओ)/सीटीई/देवरिया/2021 दिनांक 05.01.2022 द्वारा कॉमन बोयो मेडकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी की स्थापना हेतु निर्गत सशर्त स्थापनार्थ सहमति को रिवोक/खण्डित कर दिया जाये।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in; Web Site: www.uppcb.in

email sent  
8/7/3/24

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ अपना उत्तर 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक उत्तर न होने पर सीबीडब्लूटीएफ के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-27(2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21(4) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सीबीडब्लूटीएफ एवं सीबीडब्लूटीएफ स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, देवरिया।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
3. पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी सीबीडब्लूटीएफ को उपलब्ध कराते हुये कारण बताओ नोटिस के निस्तारण के सम्बन्ध में आख्या संस्तुति सहित 15 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-6)


MC [Signature]


माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित अपील नं0 6/2022 (आई0एन0एन0-29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 के अनुपालन में मेसर्स जे0के0एन0 पूर्वांचल सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 वर्क्स, ग्राम- पहाड़पुर, पो0- गोथा रसूलपुर, जनपद- देवरिया का अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उक्त प्रस्तावित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 02.03.2024 किया गया। निरीक्षण के समय श्री जर्नादन राय प्रस्तावित संस्था प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. प्रस्तावित कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी (सी0बी0डब्लू0टी0एफ0) मेसर्स जे0के0एन0 पूर्वांचल सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 वर्क्स, ग्राम- पहाड़पुर, पो0- गोथा रसूलपुर, जनपद- देवरिया, उ0प्र0 के खसरा नं0 1006 पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त प्रस्तावित कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी (सी0बी0डब्लू0टी0एफ0) मेसर्स जे0के0एन0 पूर्वांचल सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 वर्क्स को स्टेट लेवल इन्चायरनमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी (एस0ई0आई0ए0ए0), उ0प्र0 के पत्र दिनांक 03.12.2021 के माध्यम से पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इन्चायरमेन्टल क्लीयरेंस जारी किया गया है।
3. उक्त प्रस्तावित कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट एण्ड डिस्पोजल फैसिलिटी (सी0बी0डब्लू0टी0एफ0) को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 05.01.2022 के माध्यम से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता 15.12.2026 तक की है।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, देवरिया के पत्र दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि देवरिया जनपद के 135 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 यूनिट कार्यरत नहीं है।
5. उपरोक्त फर्म द्वारा उसी परिसर में उसी फर्म के नाम से 20 मीट्रिक टन/दिन क्षमता का आक्सीजन बॉटलिंग प्लान्ट स्थापित किया गया है। उक्त प्लान्ट को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2026 तक की है।
6. उक्त प्रस्तावित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 फर्म के विरुद्ध माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित अपील नं0 6/2022 आई0एन0एन0-29/2022) प्रभाकर राय एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.04.2023 के माध्यम से एम0ओ0ई0एफ0, सी0पी0सी0बी0, एस0ई0आई0ए0ए0, यू0पी0पी0सी0बी0, सी0एम0ओ0, देवरिया एवं जिलाधिकारी, देवरिया की संयुक्त समिति गठित कर उक्त प्रकरण के जांच हेतु निर्देशित किया गया है।
7. माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03.04.2023 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा उक्त प्रस्तावित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 इकाई का स्थलीय सर्वेक्षण/निरीक्षण दिनांक 17.05.2023 को किया गया, संयुक्त समिति की आख्या की छायाप्रति संलग्न है।
8. संयुक्त समिति की आख्यानुसार उक्त प्रस्तावित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर मेसर्स एम0पी0सी0सी0, सन्तकबीर नगर में स्थापित एवं संचालित है। प्रस्तावित स्थल से लगभग 119 किलोमीटर की दूरी पर मेसर्स सिलकॉन वेलफेयर सोसाईटी, गाजीपुर स्थित है।
9. संयुक्त समिति की आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल के मेन गेट से लगभग 46 मीटर की दूरी पर हेल्थ स्रब सेन्टर स्थित है। प्रस्तावित स्थल के चहार दिवारी से लगभग 313 एवं 317 मीटर की दूरी पर पोल्ट्री फार्म स्थित है। प्रस्तावित स्थल से लगभग 340 मीटर की दूरी पर दो तालाब स्थित है। प्रस्तावित स्थल के मेन गेट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मन्दिर स्थित है। प्रस्तावित स्थल से 500 मीटर के अन्दर 213 आवासीय मकान एवं 1067 लोग निवास करते है।
10. संयुक्त समिति द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में उक्त प्रस्तावित फर्म को प्रस्तावित स्थल से अन्यत्र स्थल जो 500 मीटर का बफर जोन आच्छादित हो, पर स्थापित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।
11. निरीक्षण के समय उक्त प्रस्तावित स्थल पर इकाई स्थापना का कार्य नहीं किया गया है। उक्त स्थल पर खेती का कार्य किया गया है। स्थल के फोटोग्राफ संलग्न हैं।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
(डा0 आर0के0 सिंह)  
प्रयोगशाला सहायक

  
(राम मिलन वर्मा)  
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

  
02/03/2024



